अनवान

डूंगाराम बनाम झूमाराम व अन्य

29.07.2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम. चौहान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या चार अनुपस्थित। दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र एम. चौहान ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा संख्या 93 दिनांक 02.10.1983 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है, जबकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित भूखण्ड के सम्बन्ध में श्रीमान सिविल न्यायाधीश आबूरोड के न्यायालय में एक वाद पत्र संख्या 53/2023 अनवान झूमाराम बनाम डूंगाराम वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश हेतु प्रस्तुत किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, जिसकी विषय–वस्तु एक समान होने के कारण पूर्ववर्ति वाद संख्या 53/2023 के विचाराधीन रहते एवं उसके समुचित न्याय निस्तारण तक विधि के आज्ञापक प्रावधानों के तहत वर्तमान में इस निगरानी याचिका का विचारण नहीं किया जा सकता है। अतः यह निगरानी याचिका पूर्ववर्ति वाद से बाधित होने के कारण परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से उसे खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया है वह स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया है, जबकि ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा जारी विवादित पट्टा आम रास्ते की भूमि का व विधि विरूद्ध तरीके से जारी किए जाने से उक्त पट्टे को निरस्त किए जाने के लिए निगरानी प्रार्थना पत्र को सुनवाई का अधिकार केवल मात्र श्रीमान न्यायालय को ही है। इस प्रकार दोनों ही वाद की विषयवस्तु भिन्न है, जिससे अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज कराना फरमावें। उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री धुलाजी जाति सरगडा निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 02.10.1983 के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 53/2023 अनवान झूमाराम बनाम डूंगाराम व अन्य, न्यायालय सिविल न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन है एवं यह तथ्य प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ताओं के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश आबूरोड में विचाराधीन है। अतः सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णित होने से पूर्व इस प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं निर्णय पारित किए जाने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सुखाधिकारों का हनन होने की भी संभावना है। जिला कलेक्टर, सिरोही Continue...

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। साथ ही पक्षकारान को यह विकल्प दिया जाता है कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णित होने के पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण चाहे तो इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner